

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

मौलू पत्नि विकास कुमार अदालत नि. जहाजपुर
बनाम

रफीक मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुरालमान नि. जहाजपुर वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 357/2022

तारीख हुमम	हुमम या कार्रवाही गय इनिशियल्स अज	गमबर व तारीख अहकाम जो हुमम की तारीख में जारी हुये
11.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जोंच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिअे अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4288, 4289, 4290, 4291 कुल कित्ता 4 रकबा 1.8696 हैक्टैयर तथा आ. न. 4287 कुल कित्ता 1 रकबा 0.0162 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक प्रक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4288, 4289, 4290, 4291 कुल कित्ता 4 रकबा 1.8696 हैक्टैयर तथा आ. न. 4287 कुल कित्ता 1 रकबा 0.0162 हैक्टैयर की पड़ोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)